

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 135/ 2026

संतरा देवी

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व, उ.प्र. सरकार, लखनऊ एवं 4 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – विजय बहादुर यादव, आदर्श श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 17**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय बहादुर यादव, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय और गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह को सुना।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम- गोसाईं सिंहपुर, परगना- अलदेमऊ और तहसील- जयसिंहपुर, सुल्तानपुर में स्थित भूमि गाटा संख्या 830, क्षेत्रफल 0.3670 हेक्टेयर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. तहसीलदार, जयसिंहपुर, सुल्तानपुर द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या टी202604680701491, टी202604680701492, टी202604680701493, टी202604680701494 और टी202604680701495 क्रमांक युक्त पांच वाद पहले ही संस्थित किए जा चुके हैं।
4. लिखित निर्देशों की एक प्रति अभिलेख पर ग्रहण की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. तदनुसार, इस याचिका को यह निर्देश जारी करते हुए निस्तारित किया जाता है कि उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत उपरोक्त वाद संख्या टी202604680701491, टी202604680701492, टी202604680701493, टी202604680701494 और टी202604680701495 की कार्यवाही विधि के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना और अल्प अंतराल पर तारीखें तय करते हुए शीघ्रतापूर्वक संपन्न की जाएगी।

27 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)